न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी :–सॉवर मल वर्मा, आई0 ए0एस)

अपील संख्या 72 / 15 (अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम, 1956)

1–हरीकिशन पुत्र वृदांवन जाति ब्राहमण निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

2–रमेशचन्द पुत्र वृदांवन जाति ब्राहमण निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

3–फूलचन्द पुत्र वृदांवन जाति ब्राहमण निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

4–इन्द्रेश कुमार पुत्र रमेशचन्द दत्तक पुत्र हुकमचन्द ब्राहमण निवासी खंसवारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर

उपस्थिति :– 1–श्री दिनेश शर्मा, वकील अपीलाण्टस

2–सरकारी पैरोकार वकील रैस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 31–5–2022

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अपीलाण्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–7–2015 के विरूद्व भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत एक अपील इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि अपीलाण्टस की ओर से अदालत मातहत में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम खंसवारा के साबिक खसरा नंबर 205 रकबा 0.16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नंबर 805 रकबा 0.12 एयर बना है, रिकार्ड के मुताबिक गैर मुमकिन आबादी में दर्ज था जिसे बंदोवस्त विभाग द्वारा गैर मुमकिन मंदिर दर्ज किया है, की दुरस्ती बाबत प्रस्तुत किया गया था जिसे अदालत मातहत द्वारा गैर कानूनी रूप से राजस्व न्यायालय कैम्प पपरेरा में दिनांक 30–7–2015 को गलत रूप से खारिज किया है क्योकि लोक अदालत में केवल वे ही प्रकरण तय होने थे जिनमें पक्षकारान की सहमति थी। मेरिट पर तय करने के लिये लोक अदालत कानूनन अधिकृत नही है। उक्त निर्णय अपीलाण्ट की गैर मौजदूगी में पारित किया गया है। लोक अदालत के सम्बन्ध में न तो अपीलाण्ट को कोई नोटिस दिया गया और न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही दिया गया जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की भावनाओं के विरूद्व है। उक्त प्रकरण में पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट तलब की गयी थी जिसमें स्पष्ट है कि पूर्व रिकार्ड के अनुसार इन्द्राज गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। बंदोवस्त विभाग को इस इन्द्राज को बदलने का अधिकार नही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–7–2015 निरस्त किया जावे।

अपील पेश होने पर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गयी तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली तलब की गयी। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए तथा अपीलाधीन निर्णय संबधी मूल पत्रावली प्राप्त हुई।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये तर्क दिया है कि साबिक खसरा नंबर 205 रकवा 0.16 विस्वा ग्राम खंसवारा जिसका नया नंबर 805 रकवा 0.12 ऐयर बना है, पूर्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज था परन्तु भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गैर मुमकिन मंदिर दर्ज किये जाने के कारण इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पेत्र अदालत मातहत में प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.07.2015 को अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये गये बिना ही खारिज कर दिया गया है इसकी पुष्टि अदालत मातहत की पत्रावली से हो रही है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 21.04.2015 में यह आदेश दिये गये हैं कि तहसीलदार कुम्हेर से

तथ्यात्मक रिपोर्ट आयन्दा तारीख पेशी दिनांक 19.06.2015 को पेश हो। 19.06.2015 की पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गयी वरन दिनांक 30.07.2015 को राजस्व कैम्प में अपीलान्ट को सुनवाई का उचित व पर्याप्त दिये बिना यह उल्लेख कर कि भूमि गैर मुमकिन मंदिर शिवायचक दर्ज है जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती, के आधार पर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का आदेश पारित गया है। जबकि अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खातेदारी न मांगकर यह अनुतोष चाहा गया था कि प्रार्थी के हाल खसरा नंबर 805 रकबा 0.12 ऐयर की किस्म मुताबिक गत रिपोर्ट के अनुसार दर्ज कराया जाकर कागजात में दुरूस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली में तहसीलदार ने जो रिपोर्ट संलग्न की हुई है, वह रिपोर्ट भी गलत है। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये थे उनके बारे में किसी तरह की कोई तथ्य रिपोर्ट ने नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्ट ने आरबीजे–2018 पेज 676 में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुये तर्क दिया है कि अपीलान्ट को सुनवाई का उचित व पर्याप्त मौका दिये बिना पारित आदेश वैध नहीं माना गया। अतः इस परिपेक्ष में भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गयी बहस का प्रति उत्तर देते हुये राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय तथ्यों पर आधारित है। उक्त निर्णय तहसील से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट एवं रैस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक एवं मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2015 उचित नहीं है। क्योंकि अपीलान्ट की ओर से भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें साबिक खसरा नंबर 205 रकबा 0.16 ऐयर जिसकी किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज थी को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कार्यवाही के दौरान नया खसरा नंबर 805 रकबा 0.12 ऐयर बनाकर गैर मुमकिन मंदिर के खाते में दर्ज कर दिया गया, के मुताबिक मौका व गत रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज करवायी जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा किसी तरह की कोई खातेदारी अधिकारी की कोई मांग नहीं की गयी है परन्तु भूमिधारी तहसीलदार द्वारा उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी उसमें विवादित भूमि सरकारी भूमि होने के कारण खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियत तारीख पेशी दिनांक 19–6–2015 को निर्णय नहीं कर उक्त पत्रावली दिनांक 30–7–2015 को राजस्व कैम्प में रखते हुये निर्णय पारित किया गया है लेकिन राजस्व कैम्प में रखे जाने के सम्बन्ध में अपीलाण्ट को किसी तरह का कोई नोटिस आदि जारी नहीं किया गया है और न ही सुनवाई का उचित व पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसके अलावा प्रार्थना पत्र को यह मानते हुये खारिज किया गया कि विवादित भूमि गैर मुमकिन मंदिर शिवायचक दर्ज है जिसकी खातेदारी नहीं दी जा सकती जबकि अपीलाण्ट द्वारा विवादित भूमि को खातेदारी में दर्ज कराने की कोई इस्तदुआ प्रार्थना पत्र में नहीं की गयी है। इस वकील अपीलाण्ट द्वारा बहस में वर्णित नजीर आरबीजे 2018 पेज–676 में प्रतिपादित सिद्धान्त से सहमत है जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार को सुनवाई का उचित व पर्याप्त मौका दिये बिना पारित आदेश वैध नहीं है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 19–6–2015 को रखा गया था। उक्त पेशी के बाद कोई कार्यवाही नहीं कर पत्रावली को राजस्व कैम्प में बिना अपीलाण्ट को नोटिस जारी किये व सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–7–2015 को पारित किया गया है जो कि उपरोक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिपेक्ष्य में भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

संभागीय आयुक्त

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–7–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देते हुये भूमिधारी तहसीलदार कुम्हेर से मौके व रेकार्ड की स्थिति के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में समुचित निर्णय नये सिरे से पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31–5–2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सॉवर मल वर्मा)
समागीय आयुक्त,
भरतपुर संभाग, भरतपुर